

जिला प्रभारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

नाम:- .....

पिता का नाम :- .....

माता का नाम:- .....

योग्यता :- .....

पता :- मकान नं0.....

मोहल्ला.....पोस्ट आफिस.....

पुलिस स्टेशन .....जनपद.....

पिन कोड नं0.....फोन नं0.....

मो0 नं0.....व्हाटसअप नं0.....

ईमेल आईडी.....

**:- घोषणा :-**

मैं..... घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी ऐसी संस्था/संगठन अथवा समूह से सम्बद्ध नहीं हूँ जिससे बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा जारी आचार संहिता का उल्लंघन होता हो और यह भी वचन देता/देती हूँ कि अपनी सेवा अवधि में ऐसी किसी संस्था/संगठन अथवा समूह से सम्बन्ध नहीं रखूँगा/रखूँगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

## जिला प्रभारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित है

प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों पर में मानद जिला प्रभारियों की आवश्यकता है, इच्छुक अभ्यर्थी ईमेल [upelectrohomoeopathy@gmail.com](mailto:upelectrohomoeopathy@gmail.com) पर आवेदन कर सकते हैं :-

**योग्यता-** बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० द्वारा पंजीकृत व अधिकृत चिकित्सक

**आयु-** न्यूनतम 22 वर्ष

**मानदेय -** मासिक रूपया एक

**सेवा अवधि -** एक वर्ष ( प्रदर्शन के अनुसार बढ़ायी/घटायी जा सकती है। )

**कार्य -** जनपदीय रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पर उपलब्ध कराना, भरे हुए फार्मों को स्वीकार करना, पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी करना तथा आवश्यकतानुसार जारी प्रमाणपत्रों का सत्यापन करना/कराना।

विशेष कार्याधिकारी

### बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र०

8-लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ-228001

प्रशा० कार्या० : 127/204 "एस" जूही, कानपुर-208014

email: [behm.up@rediffmail.com](mailto:behm.up@rediffmail.com)



### इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों हेतु आचार संहिता

- 1- सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने साइनबोर्ड,लेटरपैड एवं रोगी परचे पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फिजीशियन (EH Dr.) शब्द का उल्लेख करें।
- 2- हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपने चिकित्सालय पर लगे साइनबोर्ड पर अपनी योग्यता स्पष्ट तौर पर अंकित करें।
- 3- इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की औषधियों का ही प्रयोग करे इसके अतिरिक्त किसी अन्य पद्धति की औषधियों का न प्रयोग करेगा और न ही उनका भण्डारण करेगा।
- 4- बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० द्वारा प्रमाणित औषधि निर्माता एवं विक्रेता से ही औषधि खरीदेगा।
- 5- बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायिक एसोसिएशन की ही सदस्यता धारण करेगा।
- 6- बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित मुकदमा न तो दायर करेगा और न ही किसी मुकदमे में सम्मिलित होगा।